भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1947
11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: नये शीतागारों की स्थापना हेतु व्यापक योजना

1947. श्री राम शिरोमणि वर्मा:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या देश भर में कार्यरत शीतागारों की संख्या किसानों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देश में शीतागारों की अभी भी भारी कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार का उक्त बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित देश भर में अधिक/नए शीतागार स्थापित करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में इस प्रयोजनार्थ क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): वर्ष 2015 में नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स) द्वारा "आल इंडिया कोल्ड-चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी (एआईसीआईसी-2015)" पर एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में उस समय कोल्ड स्टोरेज की आवश्यक क्षमता का आकलन 351.00 लाख मीट्रिक टन किया गया था, जबकि वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश सहित मौजूदा क्षमता 318.23 लाख मीट्रिक टन थी। इस अध्ययन में वर्ष 2019-20 तक कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता का भी आकलन किया गया, जो 519.53 लाख मीट्रिक टन है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 30 जनवरी, 2025 तक उत्तर प्रदेश सहित देश में 8760 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिनकी क्षमता 397.08 लाख मीट्रिक टन है। उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में हैं।

सरकार विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के आधार पर उत्तर प्रदेश सहित देश भर में 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एएपी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकता, क्षमता और संसाधनों की

उपलब्धता के आधार पर तैयार किए जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज का घटक मांग/उद्यमी द्वारा संचालित है, जिसके लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% और पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50% की दर से संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से ऋण से जुड़ी बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध है।

इस योजना के अंतर्गत व्यक्तियों, किसानों/उत्पादकों/उपभोक्ताओं के समूहों, साझेदारी/स्वामित्व वाली फर्मों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों, सहकारी विपणन संघों, स्थानीय निकायों, कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) और विपणन बोर्डों तथा राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) "बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी" नामक एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, 5000 मीट्रिक टन से अधिक और 20000 मीट्रिक टन तक की क्षमता के कोल्ड स्टोरेज और नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत के 35% की दर से और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में एकीकृत कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक योजना कार्यान्वित करता है जिसका उद्देश्य बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, मंत्रालय सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% की दर से तथा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम (आईटीडीपी) क्षेत्रों और द्वीपों के लिए भंडारण और परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50% की दर से अनुदान-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तथा विकिरण सुविधा सहित एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये की अनुदान-सहायता के अध्यधीन मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रमशः 50% और 75% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज को शामिल नहीं किया गया है।

उपरोक्त सभी योजनाएं वाणिज्यिक उपक्रमों के माध्यम से मांग/उद्यमी द्वारा संचालित हैं, जिसके लिए सरकारी सहायता क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी/अनुदान सहायता के रूप में है और राज्यों/उद्यमी से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार ने 1.00 लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) की शुरुआत की है। एआईएफ के तहत, 2.00 करोड़ रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त सावधि ऋण और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना सहित फसलोपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए लिए गए सावधि ऋण पर 3% की ब्याज छूट का प्रावधान है।

अनुबंध-I

दिनांक 30.01.2025 तक देश में कोल्ड स्टोरेज का राज्य-वार वितरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना की संख्या	क्षमता (मीट्रिक टन में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	4	2210
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	480	1996340
3	अरुणाचल प्रदेश	2	6000
4	असम	43	206742
5	बिहार	316	1490200
6	चंडीगढ़ (यूटी)	7	12462
7	छत्तीसगढ	130	577663
8	दिल्ली	97	129857
9	गोवा	29	7705
10	गुजरात	1023	4042770
11	हरियाणा	386	870703
12	हिमाचल प्रदेश	89	181318
13	जम्मू एवं कश्मीर	92	151833
14	झारखंड	59	242655
15	कर्नाटक	268	912417
16	केरल	202	96655
17	लक्षद्वीप (यूटी)	1	15
18	मध्य प्रदेश	320	1381827
19	महाराष्ट्र	665	1219851
20	मणिपुर	2	4500
21	मेघालय	4	8200
22	मिजोरम	3	4071
23	नागालैंड	5	8150
24	उड़ीसा	182	579321
25	पांडिचेरी (यूटी)	4	185
26	पंजाब	770	2604206
27	राजस्थान	190	648908
28	सिक्किम	2	2100
29	तमिलनाडु	188	399690
30	तेलंगाना	116	617131
31	त्रिपुरा	14	46354
32	उत्तर प्रदेश	2488	15096476
33	उत्तराखंड	62	206848
34	पश्चिम बंगाल	517	5952997
	कुल	**8760**	**39708361**

(स्रोत: विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) 2009 तक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच)) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।

*****